



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

जलमिश्रित शराब के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार थाना रामकोट सीतापुर

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के क्रम में दिनांक 16.11.20 को थाना रामकोट पुलिस व आबकारी विभाग की टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर ग्राम बीहट गौर में देशी शराब की दुकान से 02 व्यक्तियों 1.सुधाकर पुत्र सुरेश कुमार नि० डिगरा थाना महोली जनपद सीतापुर 2.सोनेलाल पुत्र रामनारायन नि० गरगटा थाना रामकोट जनपद सीतापुर को धोखाधड़ी पूर्वक शराब का तनुकरण कर नकली ढक्कन का प्रयोग कर तनुकृत शराब को वैध शराब के दाम पर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बेंचते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 525/20 धारा 60/64/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471/474 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 525/20 धारा 60/64/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471/474 भा०द०वि० थाना रामकोट सीतापुर।

बरामदगी-

1. 99 पौव्वा देशी शराब जलमिश्रित
2. एक पौव्वा आधा भरा
3. 08 खाली पौव्वो की शीशियां तथा प्लास्टिक की 02 ली० धारिता वाली बोतल में लगभग 150 मिली० खुली शराब
4. 10 शीशी नकली शराब के ढक्कन
5. एक अदद सूजा
6. जामा तलाशी के 43940/- रू०
7. एक अदद मो०सा० UP 34 W 2298 (हीरो हाण्डा स्पलेन्डर प्लस)

अभियुक्त गण –

1. सुधाकर पुत्र सुरेश कुमार नि0 डिगरा थाना महोली जनपद सीतापुर
2. सोनेलाल पुत्र रामनारायन नि0 गरगटा थाना रामकोट जनपद सीतापुर

आबकारी / पुलिस टीम–

1. आबकारी निरीक्षक गुंजन, क्षेत्र 7 महोली जनपद सीतापुर
2. विवेक केशव प्रसाद नारायन (प्र0आ0सि0) क्षेत्र 7 महोली जनपद सीतापुर
3. उ0नि0 श्री सत्यपाल सिंह थाना रामकोट सीतापुर
4. का0 यशवन्त थाना रामकोट सीतापुर
5. का0 प्रमोद कुमार थाना रामकोट सीतापुर ।

